



प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7**लखनऊ: दिनांक 27.08.2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत झांसी मण्डल के जनपद झांसी के 01 चालू कार्य पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र(तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 01 चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल **रु० 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रु० लाख में)

क्रम सं०	मुख्य अभियन्ता(मु०-1) का पत्रांक	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/मूल लागत/बचत/बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अनुरक्षण की लागत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24408/CE-HQ1/DHARMARTH/JHA/2026-27 Dt- 19-08-2026	प्रा.ख. झांसी	प्रान्तीय खण्ड, झांसी जनपद झांसी में बडवार टोडीफतेहपुर मार्ग (अ०जि०मा०) के किमी० 1 से 6.200 में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।	57/2025/आई/1146975/2025/001-23-6099-099/293/2025, दि० 18-11-2025	799.81 799.81 110.81 689.00	239.94	0.00	449.06	100.00
कुल योग									100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- (1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
 - (2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
 - (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों के समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के आनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (5) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु यदि लागत में अनुरक्षण पर व्यय सम्मिलित है, तो अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान धनावंटन के क्रम में व्यय नहीं किया जायेगा।
 - (6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371200 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन ।
2. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
5. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6. मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
12. राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र० शासन।
13. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14. लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन।
15. नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।